14/10/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी गण की ओर से कोई उप० नहीं। वकील प्रार्थी ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का उल्लेख किया और प्रार्थना स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक उक्त प्रार्थना पत्र को कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली में प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ संलग्न किया, गया बाद पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajanand Jangid
Date: 2019.12.09 11:02:33 IST
Reason: SelfAttested